न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

भू–राजस्व निगरानी संख्या–93/2013–14 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम

श्री ओमप्रकाश शुक्ला

–बनाम–

श्री विरेन्द्र स्वरूप डबराल आदि

उपस्थितिः श्री विनोद चन्द्र रावत, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदातागण : श्री सन्दीप सिंह पयाल।

बावत

मौजा रानी पोखरीग्रान्ट,
तहसील ऋषिकेश, जनपद देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी अपर तहसीलदार, सदर, देहरादून द्वारा वाद संख्या–1473/6218/2013–14 अन्तर्गत धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम आन्द स्वरूप आदि बनाम पूरण सिंह में पारित निर्णयादेश दिनांक 16–07–2014 के विरूद्व योजित की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर श्री आनन्द स्वरूप एवं श्री ओमप्रकाश शुक्ला द्वारा नायब तहसीलदार, ऋषिकेश के समक्ष नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 14–06–2004 से स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि पर केतागण आनन्द स्वरूप एवं श्री ओम प्रकाश का नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए गए। पुनः इस वाद में दिनांक 24–10–2013 को श्री ओमप्रकाश शुक्ला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र शपथ पत्र सहित तहसीलदार, ऋषिकेश के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि केतागण आनन्द स्वरूप एवं प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि संयुक्त रूप से पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई थी जिसका दाखिल खारिज दिनांक 14–06–2004 को हुआ किन्तु राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम इन्द्राज नहीं हो सका तथा वर्तमान अभिलेखों में केवल एक केता श्री आनन्द स्वरूप का नाम ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहा। केता आनन्द स्वरूप की मृत्यु के पश्चात प्रश्नगत भूमि पर उनके वारिसान विरेन्द्र स्वरूप डबराल आदि का नाम बतौर विरासत दर्ज होने के पश्चात उनके द्वारा उक्त भूमि विकय की जा रही है जबकि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी की 1/2 हिस्सेदारी बनती है। प्रार्थी ओमप्रकाश शुक्ला द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना नाम दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई। जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 30–04–2014 से पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु अपर तहसीलदार, देहरादून को स्थानान्तरित हुआ। अपर तहसीलदार, देहरादून द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई के उपरान्त अपने निर्णयादेश दिनांक 16–07–2014 से पुनरर्थापन प्रार्थना पत्र इस विवेचना सहित निरस्त किया गया कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र मूल वाद में पारित आदेश के कई वर्षों बाद प्रस्तुत किया गया है एवं उसमें ऐसा कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत

किये जाने का औचित्य प्रकट हो। अपर तहसीलदार द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 16--07--2014 के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की गई है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि निगरानीकर्ता एवं प्रतिउत्तरदातागण के पिता श्री आनन्द स्वरूप द्वारा संयुक्त रूप से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई थी एवं संयुक्त रूप से नामान्तरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे नायब तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 14--06--2004 से स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्तागण एवं आनन्द स्वरूप का नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये थे किन्तु त्रुटिवश राजस्व अभिलेखों मे आर--6 रजिस्टर मालिकान में केवल आनन्द स्वरूप का ही नाम दर्ज हुआ और निगरानीकर्ता ओमप्रकाश शुक्ला का नाम दर्ज होने से छूट गया। केता आनन्दस्वरूप की मृत्यु वर्ष 2012 में होने पर राजस्व अभिलेखों में प्रतिउत्तरदातागण का नाम विरासतन दर्ज हुआ एवं जब उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को विक्रय किया जाने लगा तो निगरानीकर्ता को इस तथ्य की जानकारी हुई की वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्ता का नाम दर्ज नहीं है जबकि वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर निगरानीकर्ता का भी अधिकार बनता है। निगरानीकर्ता द्वारा मूल दाखिल खारिज वाद पत्रावली की तलाश की गई तो पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई जिसके कारण उसके द्वारा तहसीलदार, ऋषिकेश के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल पत्रावली तलब कर राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्ता का नाम भी दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया परन्तु मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं हो पाई जिसके फलस्वरूप निगरानीकर्ता ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा--201 भू--राजस्व अधिनियम तहसीलदार, ऋषिकेश के समक्ष प्रस्तुत किया गया परन्तु लम्बे समय तक मूल वाद दाखिल खारिज पत्रावली उपलब्ध न होने पर जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 30--04--2014 से वाद निस्तारण हेतु अपर तहसीलदार, सदर, देहरादून को सुनवाई एवं निस्तारण हेतु स्थानान्तरित किया गया। अपर तहसीलदार द्वारा मूल वाद पत्रावली में नामान्तरण आदेश के उपलब्ध होते हुए भी केवल इस आधार पर कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र कई वर्षों पश्चात प्रस्तुत किया गया है पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया जबकि न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 14--06--2004 का पालन राजस्व अभिलेखों में करे। आर--6 मालिकान रजिस्टर में निगरानीकर्ता का नाम दर्ज किये जाने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय का था। राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्ता का नाम दर्ज न होने की त्रुटि निगरानीकर्ता द्वारा कारित नहीं थी। निगरानीकर्ता का नाम राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हुआ। जिस इन्द्राज का वैधानिक अधिकार हो उसे अवैध रूप से राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने से छोड़ दिया गया हो ऐसे इन्द्राज का पुनः दर्ज करवाने के सम्बन्ध में कोई मियाद लागू नहीं होती परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसके बावजूद भी विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर आदेश दिनांक 16--07--2014 पारित किया जो कि पूर्णतया विधि विरूद्व एवं क्षेत्राधिकार से बाहर है। निगरानी स्वीकार की जाय एवं राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्ता का नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाय।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त रूप से निगरानीकर्ता एवं प्रतिउत्तरदातागण के पिता द्वारा संयुक्त रूप से विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई थी एवं संयुक्त रूप से नामान्तरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा आदेश दिनांक 14--06--2004 से नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था। निगरानीकर्ता द्वारा अपने हिस्से की भूमि की धनराशि प्राप्त की जा चुकी है जिसके साक्ष्य में अवर न्यायालय की पत्रावली पर प्राप्ति की रसीदें उपलब्ध हैं। निगरानीकर्ता ने अवर न्यायालय में धारा--201 भू--राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पुनंर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और नामान्तरण आदेश दिनांक 14--06--2004 को निरस्त करने की प्रार्थना

A

की गई है जबकि नामान्तरण आदेश निगरानीकर्ता के हक में पारित हुआ है। निगरानीकर्ता ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा–201 के अन्तर्गत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रथमदृष्टया ही राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्ता का नाम दर्ज होने से छूटने के कारण उसे भू–राजस्व अधिनियम की धारा–33/39 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। यह प्रकरण राजस्व अभिलेखों में संशोधन का बनता है और प्रार्थी को राजस्व अभिलेखों में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत करना चाहिए था। निगरानीकर्ता ने इतनी लम्बी अवधि पश्चात पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है कि उसके द्वारा इतनी लम्बी अवधि पश्चात पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र किस कारण से प्रस्तुत किया गया। दाखिल खारिज की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है और निगरानीकर्ता वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों के विनिश्चयन हेतु नियमित वाद दायर कर सकता है। निगरानी बलहीन है और निरस्त होने योग्य है।

मैंने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षों की बहस विस्तार से सुनी एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।.

इस प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से निगरानीकर्ता एवं प्रतिउत्तरदातागण के पिता द्वारा संयुक्त रूप से कय की गई थी एवं संयुक्त रूप से नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो तहसीलदार, ऋषिकेश ने अपने निर्णयादेश दिनांक 14–06–2004 से स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्ता एवं प्रतिउत्तरदातागण के पिता का नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए गए थे। यह तथ्य दोनों पक्षों को स्वीकार है और इसमें कोई विरोधाभाष नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर दोनों पक्षों का नाम दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार द्वारा पारित करने के उपरान्त आर–6 मालिकान रजिस्टर में निगरानीकर्ता का नाम दर्ज नहीं हुआ जिसके कारण राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्ता का नाम दर्ज नहीं हो सका। केता आनन्दस्वरूप की मृत्यु होने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिउत्तरदातागण का नाम विरासतन दर्ज हुआ और उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को विकय किये जाने के कारण निगरानीकर्ता को इस तथ्य की जानकारी हुई कि उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है जिसके कारण उसके द्वारा राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करने हेतु पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपर तहसीलदार ने मात्र इस आधार पर कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र लम्बी अवधि पश्चात प्रस्तुत किया गया है निर्णयादेश दिनांक 16–07–2014 से पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। नामान्तरण वाद निर्विवाद होने के कारण तहसीलदार द्वारा केतागण आनन्दस्वरूप एवं ओम प्रकाश शुक्ला का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए गए थे परन्तु राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्ता का नाम दर्ज नहीं हो पाया यह त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की थी न कि निगरानीकर्ता की। तहसीलदार के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट था कि मूल वाद में निगरानीकर्ता एवं प्रतिउत्तरदातागण के पिता द्वारा संयुक्त रूप से भूमि कय की गई थी एवं संयुक्त रूप से नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर प्रश्नगत भूमि पर निगरानीकर्ता एवं प्रतिउत्तरदातागण के पिता का नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए गए थे। संज्ञान में आने पर तहसीलदार को राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्ता का नाम भी दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए जाने चाहिए थे। मात्र इस आधार पर कि निगरानीकर्ता ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। राजस्व अभिलेखों में हुई त्रुटि को दुरस्त किये जाने का दायित्व राजस्व कर्मचारियों का है। यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त रूप से पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से निगरानीकर्ता एवं प्रतिउत्तरदातागण के पिता स्व0

आनन्दस्वरूप द्वारा कय की गई थी और निगरानीकर्ता का नाम किस आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने से रह गया यह स्पष्ट नहीं है। यह सुस्पष्ट है कि नामान्तरण की प्रकिया एक सरसरी प्रकृति की राजकोषीय प्रकिया है और इसमें पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चियन नहीं किया जाता है। उभयपक्षों के तर्कों को सुनने एवं अभिलेखों के अध्ययन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्ता का नाम दर्ज किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुरूप है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है और जहाँ तक वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारों के अधिकारों का का प्रश्न है तो इस हेतु पक्षकार विधि में दी गई अन्य व्यवस्थाओं के तहत अपने अधिकारों को विनिश्चित कराने हेतु स्वतन्त्र हैं।

आदेश

निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर तहसीलदार, देहरादून द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 16–07–2014 निरस्त किया जाता है तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्ता का नाम दर्ज किया जाय। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस हो तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हों

(विनोद चन्द्र रावत)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 27/3/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विनोद चन्द्र रावत)
सदस्य(न्यायिक)।